मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 1871-6 जी0 एस0-I-73/8661 दिनांक 30-3-73 की प्रति ।

विषय :—मन्त्री/विधान सभा सदस्यों की सिफारिश के लिये पहुंच करना ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1966 के नियम 20 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी सेवा सम्बन्धी मामलों के लिये अपने किसी प्रवर अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं डलवायेगा और न ही डलवाने का प्रयत्न करेगा हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3598-5 जी0 एस0-68 (18351, दिनांक 22-7-68 द्वारा उपरोक्त नियमों की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया गया था व कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को मन्त्रियों, विधान सभा के सदस्यों तथा पब्लिक के दूसरे प्रभावी सदस्यों से अपनी नियुक्ति, बदली और दूसरे सेवा सम्बन्धित मामलों में सिफारिश नहीं करवानी चाहिये और जो कर्मचारी ऐसा करेंगे वे अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे । इसके पश्चात् सरकार के नोटिस में ऐसे दृष्टांत आये थे जिनमें सरकारी कर्मचारियों ने उपरोक्त हिदायतों की उल्लंघना की थी, अतः उपरोक्त हिदायतों की परिपत्र क्रमांक 4472-5 जी0 एस0 1-71/24500, दिनांक 20-8-71 द्वारा दोहराया गया था । इनमें सरकार का यह निर्णय स्पष्ट किया गया था कि ऐसे केसों में चूककर्ता कर्मचारी के विरुद्ध पंजाब सिविल सेवाऐं (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1952 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हमेशा की जाया करे और उपयुक्त दण्ड दिया जाया करे । यह भी कहा गया था कि यदि कुछ विशेष हालतों के कारण इस प्रकार का दण्ड न दिया जा सके और सम्बन्धित कर्मचारी को केवल चेतावनी या सरकार की नाराजगी ही लिखित रूप में जारी की जानी हो तो ऐसे परिपत्र की एक प्रति उसकी व्यक्तिगत फाईल (परसनल फाईल) में भी जरूर लगा दी जाये ।

2. सरकार ने खेद के साथ नोट किया है कि बार-बार हिदायतें जारी करने के बावजूद भी काफी ऐसे दृष्टांत हुए हैं जिनमें कि उपरोक्त हिदायतों की उल्लंघना की गई है और सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है । राज्य सरकार के विचार में ऐसा अवांछनीय है तथा आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों का भविष्य में कठोरता से पालन किया जाये । यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार के ध्यान में कोई भी ऐसा केस आया जिसमें कि इन हिदायतों की उल्लंघना की गई हो और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय सचिव ने अनुशासनिक कार्यवाही न की हो तो इसका गम्भीर नोटिस लिया जायेगा ।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों को अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के नोटिस में भी विशेष तौर पर ला दें । इस पत्र की पावती भी भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाऐं,

कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित की सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त राजस्व/सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।